रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 2004/चैत्र 2, 1926
No. 144] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 2004/CHAITRA 2, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2004

सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2004 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 3क के परंतुक में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ऐसे गन्ने की दशा में, जो किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त किया गया है और जिसे कारखाने तक कारखाने के स्वामी द्वारा रेल से या अपने स्वयं के परिवहन का उपयोग करते हुए सड़क से परिवहनित किया जाता है, रिबेट, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत में से या तय पाई गई कीमत में से दी जाएगी और ऐसी रिबेट केन्द्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र में परिवहन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए ऐसे निकाय या निकायों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह ठीक समझे, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत की जाएगी और स्वामी तदनुसार रिबेट देगा।"

3. उक्त आदेश के खंड 4क के परंतुक में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ऐसे गन्ने की दशा में, जो किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त किया गया है और जिसे खांडसारी यूनिट तक यूनिट के स्वामी द्वारा रेल से या अपने स्वयं के परिवहन का उपयोग करते हुए सड़क से परिवहनित किया जाता है, रिबेट, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत में से या तय पाई गई कीमत में से दी जाएगी और ऐसी रिबेट केन्द्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र में परिवहन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए ऐसे निकाय या निकायों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह ठीक समझे, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत की जाएगी और स्वामी तदनुसार रिबेट देगा।"

[फा. सं. 3-5/2002-एस.पी.]

संजय कौल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश सं. सा.का.नि. 1126(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए।

1. सा.का.नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5-6-1967
2. सा.का.नि. 159/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17-10-1967
3. सा.का.नि. 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18-5-1968
4. सा.का.नि. 1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-8-1968
5. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25-9-1974
6. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12-9-1975

7. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27-10-1975
8. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26-7-1974
9. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13-9-1976
10. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-12-1976
11. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-3-1978
12. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-2-1982
13. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-9-1983
14. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-11-2000
15. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20-2-2003

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2004

G.S.R. 204(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3 A, in the proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) in the case of sugarcane delivered at any purchasing centre and the same being transported to the factory by the factory owner by rail or by road using his own transport, a rebate shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, and such rebate shall be fixed by the Central Government having regard to the actual cost of transportation in the area, after consultation with such body or bodies as it may deem fit, by notification in the Official Gazette, from time to time and the owner shall accordingly make the rebate."

3. In the said Order, in clause 4A, in the proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) in the case of sugarcane delivered at any purchasing centre and the same being transported to the khandsari unit by the unit owner by rail or by road using his own transport, a rebate shall be made from the minimum price of the agreed price, as the case may be, and such rebate shall be fixed by the Central Government having regard to the actual cost of transportation in the area, after consultation with such body or bodies as it may deem fit, by notification in the Official Gazette, from time to time and the owner shall accordingly make the rebate."

[F. No. 3-5/2002-SP]

SANJAY KAUL, Jt. Secy.

Footnote :—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 1126(E) Ess. Com./Sugarcane dated the 16th July, 1966 and was subsequently amended *vide* :—

1. G.S.R. 35/Ess. Com./Sugarcane dated 5-6-1967
2. G.S.R. 159/Ess. Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. G.S.R. 945/Ess. Com./Sugarcane dated 18-5-1968
4. G.S.R. 1456/Ess. Com./Sugarcane dated 2-8-1968
5. G.S.R. 402(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 25-9-1974
6. G.S.R. 492(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 12-9-1975
7. G.S.R. 542(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 27-10-1975
8. G.S.R. 484(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 26-7-1974
9. G.S.R. 799(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 13-9-1976
10. G.S.R. 913(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 9-12-1976
11. G.S.R. 197(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 29-3-1978
12. G.S.R. 79(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 24-2-1982
13. G.S.R. 695(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 9-9-1983
14. G.S.R. 903(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 29-11-2000
15. G.S.R. 113(E)/Ess. Com./Sugarcane dated 20-2-2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.